[2018] 5 एस. सी. आर. 48

भारत और ओआरएस का संघ।

वी.

राम लखन शर्मा

(2012 की सिविल अपील संख्या 2608)

02 जुलाई, 2018

[आदर्श कुमार गोयल और अशोक भूषण, जे. जे.]

केंद्रीय राजस्व पुलिस बल नियम, 1955 आर। 27 - विभागीय जांच करने की प्रक्रिया-गैर-नियुक्ति

विभागीय जाँच में अधिकारी को प्रस्तुत करना-इसका प्रभाव

तथ्यों के अनुसार, उच्च न्यायालय ने विभागीय जांच में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति न करने के आधार पर उत्तरदाताओं की बर्खास्तगी/हटाने के आदेशों को रद्द कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लंघन हुआः

प्राकृतिक न्याय; और यह कि पूछताछ अधिकारी ने स्वयं के रूप में कार्य किया

अभियोजक और न्यायाधीश ने उक्त अनुशासनात्मक जांच में-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः नियम 27 यह इंगित नहीं करता है कि कोई वैधानिक आवश्यकता है।

अनुशासनात्मक जांच में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति-जब वैधानिक प्रावधान में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होती है तो क्या ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है जहां सिद्धांत हों।

प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन को देखा जा सकता है-इसके अलावा, जांच अधिकारी जिसे स्वतंत्र होना चाहिए और अनुशासनात्मक प्राधिकरण का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, यदि वह किसी अन्य क्षमता में कार्य करना शुरू कर देता है और इस तरह से कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है जैसे कि वह किसी कर्मचारी को दंडित करने के लिए साक्ष्य प्राप्त करने में रुचि रखता है, तो पक्षपात का सिद्धांत लागू होता है-तथ्यों पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि जांच अधिकारी ने अभियोजन पक्ष के प्रमुख के रूप में परीक्षा का नेतृत्व करके स्वयं अभियोजक के रूप में कार्य किया

प्रश्न पूछकर गवाह और अनुशासनात्मक जाँच में न्यायाधीश अभियोजक के रूप में भी कार्य करने के बाद, स्वतंत्र न्यायनिर्णायक की क्षमता खो गई थी, जिससे न्यायनिर्णायक की उनकी स्वतंत्र भूमिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा-इस प्रकार, पक्षपात का सिद्धांत आकर्षित हुआ और उच्च न्यायालय बर्खास्तगी आदेशों को रद्द करने में सही था-केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 - एस. 11 (1)-सेवा कानून।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 के नियम 27 उप नियम (सी) के अवलोकन से यह संकेत नहीं मिलता है कि

नियम प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति पर विचार करता है। सेवा

48 भारत संघ v. राम लखन शर्मा

सजा और अपील प्रक्रिया सहित शर्तें कर्मचारी वैधानिक नियमों द्वारा शासित होते हैं। सीआरपीएफ अधिनियम, 1949

एक सशस्त्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के गठन और विनियमन के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। अधिनियम की धारा 18 केंद्र सरकार को इसके लिए नियम बनाने का अधिकार देती है -

इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करना। अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियाँ होती हैं और जाँच अधिकारी एक स्वतंत्र न्यायनिर्णायक के पद पर होता है और निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य होता है।

प्रतिवादियों के खिलाफ अभियोजक। जाँच अधिकारी जिसके पास है स्वतंत्र होना और अनुशासनात्मक प्राधिकरण का प्रतिनिधि नहीं होना यदि किसी अन्य क्षमता में कार्य करना शुरू कर देता है और इस तरह से कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है जैसे कि वह किसी कर्मचारी को दंडित करने के लिए साक्ष्य प्राप्त करने में रुचि रखता है, तो पक्षपात का सिद्धांत लागू होता है। [पैरा 27] [61 डी-ई]

1.3 प्रस्तुत करने के लिए नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है

प्रत्येक मामले में अधिकारी, चाहे वैधानिक नियम हों, अधिकारियों को नियुक्ति करने में सक्षम बनाते हैं या वे चुप रहते हैं। जब सांविधिक नियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के किसी भी पहलू की प्रयोज्यता के संबंध में मौन होते हैं, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की प्रयोज्यता, जिन्हें सांविधिक योजना में विशेष रूप से बाहर नहीं रखा गया है, निषिद्ध नहीं है। जब प्राकृतिक न्याय के विशेष सिद्धांत का कोई स्पष्ट बहिष्कार नहीं होता है, तो उक्त सिद्धांत न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के लिए किसी दिए गए मामले में लागू होगा। [पैरा 33] [66-बी-सी]

1.4 यह सवाल कि क्या जांच अधिकारी, जिन्हें जांच में स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए, ने [2018] 5 एस. सी. आर. के रूप में कार्य किया है।

अभियोजक है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है जिस पर निर्णय लिया जाना है।

विशेष मामले के तथ्य और कार्यवाहियाँ। तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने पूरी जांच कार्यवाही को तलब किया था और कार्यवाही को देखने के बाद उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जांच अधिकारी ने स्वयं अभियोजक के रूप में कार्य किया

स्वयं प्रश्न पूछकर अभियोजन पक्ष के गवाह की मुख्य परीक्षा का नेतृत्व करते हैं, और उक्त अनुशासनात्मक जांच में न्यायाधीश। [पैरा 35] [67-एफ-एच]

1.5 उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जाँच अधिकारी ने अभियोजक के रूप में भी कार्य किया है,

स्वतंत्र न्यायनिर्णायक को खो दिया गया जिससे न्यायनिर्णायक की उनकी स्वतंत्र भूमिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन परिस्थितियों में, पक्षपात का सिद्धांत लागू होगा और उच्च न्यायालय को छूट देकर बर्खास्तगी के आदेशों को रद्द करने में सही था

अपीलार्थी नए सिरे से जाँच के साथ आगे बढ़ें। [पैरा 36] [38-ए-बी]

सुरेश कोशी जॉर्ज बनाम। केरल विश्वविद्यालय और अन्य ए. आई. आर 1969 एस. सी. 198: 1969 एससीआर 317; ए. के. क्राईपाक और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य ए. आई. आर 1970 एस. सी. 150: [1970] 1 एस. सी. आर. 457; उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम। सरोज कुमार सिन्हा (2010) 2 एस. सी. सी. 772 [2010] 2 एस. सी. आर. 326; भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाम। के. कासी आई. एल. आर. 1987 कर्नाटक 366; लाम्बाबाड़ी टी एस्टेट के कर्मचारी बनाम। लाम्बाबाड़ी टी एस्टेट 1966 (2) एलएलजे315; भारत संघ और अन्य। वी. मोहम्मद. नसीम सिद्दीकी आई. एल. आर. (2004) एम. पी. 821; पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम। कुंज बिहारी मिश्रा (1998) 7 एस. सी. सी. 84: [1998] 1 पूरक। एससीआर 22 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

1969 एससीआर 317

संदर्भित किया गया है

पै

रा 24

[1970] 1 एससीआर 457

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

[2010] 2 एससीआर 326

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

आई. एल. आर. 1987 कर्नाटक 366

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

1966 (2) एल. एल. जे. 325

पै

रा 30

संदर्भित किया गया है

आईएलआर (2004) एम. पी. 821 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम।

राम लखन शर्मा

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2608

2012 से।

2010 के डब्ल्यू. ए. संख्या 25 में अगरतला में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 10.01.2011 से।

के साथ

सी. ए. सं. 6745/2013 , 9373-9374 / 2013 और 1800/2014।

श्री विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., आर. बाला, सुश्री किरण भारद्वाज, अक्षय अमृतांशु, आयुष आनंद, शुभेंदु आनंद, सार्थक रायजादा, बी. वी., बलराम दास, श्रीकांत एन. तेरदल, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री सुष्मिता लाल, एम. देवानंद सिंह, श्री लीशांगथेम

रोशनी ख, सुश्री मैबम बबीना, विपिन कुमार, के. के. श्रीवास्तव, विजय पाल, दीपक गोयल, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे. 1. ये अपीलें भारत संघ द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसलों पर सवाल उठाते हुए दायर की गई हैं, जिसके द्वारा हटाने के उनके आदेशों को चुनौती देने वाली प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को हटाने/बर्खास्तगी के आदेशों को दरकिनार करके अनुमति दी गई थी और प्रतिवादियों को बहाल करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कम-अधिक समान आधारों पर प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दी थी, इसलिए, अपीलों के इस समूह पर निर्णय लेने के लिए 2012 की सिविल अपील में तथ्यों और अभिवचनों पर विस्तार से ध्यान देना पर्याप्त होगा।

2012 की सिविल अपील संख्या 2608

2. प्रतिवादी-राम लखन शर्मा को 10.04.1991 पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (इसके बाद "सीआरपीएफ" के रूप में संदर्भित) में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। 23.10.1999 पर जब वह कांस्टेबल 11 बटालियन के रूप में तैनात थे। , सी. आर. पी. एफ. अगरतला, त्रिपुरा में वह सुबह 09.00 पर गार्ड ड्यूटी से बाहर निकले और 09.50 सुबह वापस लौट आए। दोपहर में एक महिला श्रीमती ने आरोप लगाया। गीता पॉल ने प्रतिवादी के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया और प्रथम सूचना रिपोर्ट आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई।

3. 23.10.1999 पर अपीलार्थी को निलंबित कर दिया गया था। 04.12.1999 पर लेखों वाले प्रतिवादी को आरोप पत्र जारी किया गया था।

आरोप I और II। पहला आरोप यह था कि अपीलार्थी अपने [2018] 5 एस. सी. आर. की सहमति से सक्षम प्राधिकारी की उचित अनुमति के बिना अनुपस्थित रहा।

0900 बजे से 23.10.1999 पर अपनी ड्यूटी से गार्ड कमांडर। 0930 बजे तक। दूसरा आरोप यह था कि उसने कांस्टेबल (गार्ड) के रूप में काम करते हुए बल के सदस्य के रूप में अपनी क्षमता में दुर्व्यवहार किया है जिसमें उसने पैसे देकर आपसी सहमति से एक महिला के साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की जो अनुशासनहीनता/नैतिक अधमता के बराबर है।

4. अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने श्री एस. एस. बिष्ट, सेकंड-इन-कमांड, 11 बी. एन. सी. आर. पी. एफ. को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। जाँच अधिकारी

अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को दर्ज किया। जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसे अपराधी को दिनांकित 07.02.2000 पत्र के माध्यम से भी प्रदान किया गया था जिसमें प्रतिवादी को 15 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। कमांडेंट, 11 बीएन ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 के नियम 27 के साथ पठित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 11 (1) के तहत डब्ल्यू. ई. एफ. 19.03.2000 सेवा से हटाने का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया।

5. के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर

प्रतिवादी ने सत्र न्यायाधीश, त्रिपुरा, अगरतला की अदालत में एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने 20.09.2001 पर मुकदमा पूरा करने के बाद प्रतिवादी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया। आपराधिक मामले से बरी होने के बाद प्रतिवादी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2000 की एक रिट याचिका दायर की जिसमें उसे हटाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा प्रतिवादी को दो सप्ताह के भीतर सीआरपीएफ नियम, 1955 के तहत अपील दायर करने की स्वतंत्रता देने वाली रिट याचिका का निपटारा कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में D.I.G.R, सीआरपीएफ, पटना के समक्ष एक अपील दायर की गई थी। अपीलीय प्राधिकरण ने अपने दिनांकित 22.07.2004 आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ पुलिस महानिरीक्षक, सीआरपीएफ के समक्ष एक संशोधन आदेश दायर किया गया था, जिसे भी 02.03.2005 पर खारिज कर दिया गया था। हटाने के आदेश के साथ-साथ अपील और संशोधन में पारित आदेशों को चुनौती देते हुए प्रतिवादी ने 2006 की रिट याचिका (सी) No.14 दायर की। ज्ञात एकल न्यायाधीश ने दिनांकित 12.04.2010 के फैसले के माध्यम से हटाने के आदेश को दरकिनार करके रिट याचिका की अनुमति दी और प्रतिवादी की बहाली के लिए निर्देश दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति के चरण से नए सिरे से अनुशासनात्मक जांच शुरू करने की भी अनुमति दी। यह आगे निर्देश दिया गया कि यदि विभागीय कार्यवाही को नए सिरे से शुरू करने की आवश्यकता है, तो प्रतिवादी को निलंबन के तहत रखा जाएगा और निलंबन की अवधि के दौरान, निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी के बकाया वेतन और भत्तों पर निर्णय लेना प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया गया था।

6. भारत संघ ने विद्वान भारत संघ बनाम के फैसले के खिलाफ अपील दायर की।

राम लखन शर्मा

[अशोक भूषण, जे।]

एकल न्यायाधीश 2010 की रिट अपील No.25 है। की डिवीजन बेंच

उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 10.01.2011 के फैसले से उस रिट अपील को खारिज कर दिया जिसके द्वारा 2012 का आदेश सिविल अपील No.2608 दायर किया गया है।

भारत संघ द्वारा।

7. अन्य दीवानी अपीलों में तथ्य और अभिवचन अधिक या

कम समान उन्हें केवल संक्षेप में नोट करने की आवश्यकता है।

2013 की सिविल अपील No.6745

8. भारत संघ ने इस फैसले को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की है

डिवीजन बेंच दिनांकित 18.01.2013 जिसके द्वारा रिट अपील संख्या 1 2013 विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर सवाल उठाते हुए भारत संघ द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। उत्तरदाता, श्री टी. लुपेंग, जबकि

मणिपुर में 24.03.2008 पर तैनात अपने वरिष्ठ से अपने वेतन को निकालने के लिए बैंक जाने के लिए अपनी ड्यूटी के दौरान अनुमति मांगी। उन्हें जाने की अनुमति दी गई और उन्हें अपने कर्तव्यों पर वापस जाने का निर्देश दिया गया। लौटने पर वह शराब के नशे में मिला। 07.04.2008 पर कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। अभियोग के चार अनुच्छेदों पर जांच की गई। जाँच अधिकारी ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज किए। जांच पूरी हो गई है।

और रिपोर्ट 19.06.2008 पर प्रस्तुत की गई थी। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने अपने दिनांक 05.07.2008 के आदेश के माध्यम से सेवा से बर्खास्तगी की सजा सुनाई। एक अपील दायर की गई थी जिसे डी. आई. जी., सी. आर. पी. एफ. ने 07.11.2008 पर खारिज कर दिया था। इस संशोधन को आई. जी. पी.-सी./एस., सी. आर. पी. एफ. ने 05.06.2009 पर भी खारिज कर दिया था। 2009 की रिट याचिका No.556 गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दायर की गई थी जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 04.08.2012 के फैसले द्वारा अनुमति दी गई थी। भारत संघ द्वारा एक रिट अपील दायर की गई थी जिसे 18.01.2013 पर डिवीजन बेंच द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ यह अपील दायर की गई है।

2013 की सिविल अपील Nos.9373-74

9. ये अपीलें भारत संघ द्वारा दिनांकित 24.08.2012 डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसके द्वारा भारत संघ द्वारा दिनांकित 08.02.2012 के फैसले पर सवाल उठाते हुए दायर अपील को खारिज कर दिया गया है। प्रतिवादी एफ/27 बीएन सीआरपीएफ में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत था। यह आरोप लगाया गया था कि 13.04.2000 पर उसने बिना पूर्व अनुमति लिए लाइनें छोड़ दीं, शराब का सेवन किया और बाजार में उपद्रव मचाया।

प्रतिवादी को आरोप पत्र जारी किया गया था जिसमें आरोप के दो लेख थे। जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। जाँच अधिकारी ने अभियोजन पक्ष के 12 गवाहों के बयान दर्ज किए। 30.08.2000 दिनांकित एक आदेश द्वारा प्रतिवादी को सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया था। दो अन्य [2018] 5 एस. सी. आर. थे।

प्रत्यर्थी के अलावा अपराधी जिन्हें सामान्य आदेश द्वारा आगे बढ़ाया गया और बर्खास्त कर दिया गया। एक पर भरोसा करते हुए एकल न्यायाधीश सीखा 2002 की रिट याचिका (सी) No.297 (श्री मुतुम शांति कुमार सिंह बनाम भारत संघ) में उच्च न्यायालय के आदेश ने 08.02.2012 पर बर्खास्तगी के आदेश को दरकिनार कर दिया और प्रतिवादी की बहाली का निर्देश दिया। संघ

भारत सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए 2012 की रिट अपील No.32 दायर की। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 24.08.2012 के आदेश द्वारा रिट अपील को खारिज कर दिया। भारत संघ द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी जिसे भी खारिज कर दिया गया था

18.01.2013 . नतीजतन, ये अपीलें भारत संघ द्वारा दायर की गई हैं।

2014 की सिविल अपील No.1800

10. यह अपील भारत संघ द्वारा उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के दिनांक 29.05.2013 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसके द्वारा

प्रत्यर्थी द्वारा प्रत्यर्थी की बर्खास्तगी के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाली रिट याचिका को अनुमति दी गई थी। प्रतिवादी ने चोथेगांव, बिष्णुपुर (मणिपुर) में 12.03.2007 पर सेवा करते हुए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना लाइन छोड़ दी। इसके बाद, 12.03.2007 पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई। 29.07.2007 पर उसे पकड़ने के लिए वारंट जारी किया गया था लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी थी

आयोजित किया गया और प्रतिवादी को दिनांकित 13.07.2007 आदेश के माध्यम से "DESERTER" W. E. F. 12.03.2007 घोषित किया गया। एक विभागीय कार्यवाही

उत्तरदाता। इसके बाद, उन्होंने डी. आई. जी., सी. आर. पी. एफ. के समक्ष अपील प्रस्तुत की। प्रतिवादी द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी। रिट याचिका का निपटारा 29.05.2013 पर बर्खास्तगी आदेश को दरकिनार करते हुए और बहाली का निर्देश देते हुए किया गया था। उपरोक्त फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है। 11. गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया था कि अनुशासनात्मक जांच में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि कोई भी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था और जांच अधिकारी ने अभियोजक के रूप में कार्य किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और पूरी जांच को प्रतिवादी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति के चरण से नए सिरे से जांच करने की स्वतंत्रता के साथ उपरोक्त आधार पर अलग कर दिया गया था।

भारत संघ v. राम लखन शर्मा [अशोक भूषण, जे।]

12. भारत संघ द्वारा दायर सभी अपीलें कानून और तथ्यों और भारत संघ के विद्वान वकील के बारे में लगभग समान सवाल उठाती हैं।

सभी अपीलों में आम निवेदन भी उठाया गया है।

13. अपीलार्थी के विद्वान वकील, श्री विक्रमजीत बनर्जी,

एडल्ट। सॉलिसिटर जनरल का तर्क है कि उच्च न्यायालय ने प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति न होने के आधार पर बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने में त्रुटि की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. आर. पी. एफ. नियम, 1955 का नियम 27, जो अनुशासनात्मक जांच करने का प्रावधान करता है, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रावधान नहीं करता है। अपीलार्थियों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप अनुशासनात्मक जांच करने में नियम 27 की आवश्यकता का पालन किया है, इसलिए बर्खास्तगी आदेश को दरकिनार करने का कोई अवसर नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाताओं को पूरा दिया गया था

अनुशासनात्मक जाँच में अवसर जिसमें आरोपपत्र प्रस्तुत करना, गवाहों से जिरह करने का अवसर देना, साक्ष्य का नेतृत्व करने और जाँच रिपोर्ट का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर देना शामिल है।

14. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि नियम 27 अनुशासनात्मक कार्य करने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति को अनिवार्य नहीं करता है। पूछताछ की। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही यह माना जाता है कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की गैर-नियुक्ति के बावजूद, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है, उत्तरदाताओं को यह दिखाना होगा कि विभाग की जांच में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की गैर-नियुक्ति के कारण क्या पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। उत्तरदाताओं में से किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होने के कारण, वे राहत देने के हकदार नहीं थे जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है।

15. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इसका खंडन किया

उपरोक्त प्रस्तुतियों में तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं की बर्खास्तगी/हटाने के आदेशों को सही ढंग से रद्द कर दिया है। तथ्यों में और वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक थी जो

ऐसा नहीं किए जाने पर उत्तरदाताओं को गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच अधिकारी ने स्वयं अभियोजक के रूप में कार्य किया अभियोजन पक्ष के गवाहों से सवाल। जाँच अधिकारी जांच के प्रति पूरे दृष्टिकोण के साथ अभियोजक बन गया था और उसे पक्षपात से कलंकित किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से हस्तक्षेप किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जाँच अधिकारी ने अभियोजक के रूप में कार्य किया है और आगे कोई पूर्वाग्रह साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

16. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18. 2012 के सिविल अपील No.2608 (अग्रणी अपील) में रिट याचिका की अनुमति देने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले की तारीख 12.04.2010 है जो अपील के अनुलग्नक पी-7 में दायर की जाती है। मामले के तथ्यों, आरोप की प्रकृति और रिट याचिका में दायर हलफनामे पर विस्तृत रूप से विचार करने के बाद, विद्वान न्यायाधीश रिट याचिका पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुशासनात्मक जांच की कार्यवाही उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था और अनुशासनात्मक जांच की कार्यवाही के अवलोकन पर विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उक्त कार्यवाही में कोई प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था और पूछताछ अधिकारी ने स्वयं अभियोजन पक्ष के गवाह की मुख्य परीक्षा का नेतृत्व किया था।

सवाल करते हैं। उच्च न्यायालय आगे इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि पूछताछ अधिकारी ने उक्त अनुशासनात्मक जांच में स्वयं अभियोजक और न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। निर्णय के पैराग्राफ 9 और 10 को निकालना उपयोगी है जो निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं:

" (9) इस न्यायालय ने विद्वान सहायक को निर्देश दिया। एस. जी. के लिए उपस्थित

प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच की कार्यवाही उपलब्ध कराना। कार्यवाही के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि उक्त कार्यवाही में कोई प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था और पूछताछ अधिकारी ने स्वयं प्रश्न पूछकर अभियोजन पक्ष के गवाह की मुख्य परीक्षा का नेतृत्व किया था। विद्वान सहायक द्वारा इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है। एस. जी. उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए, लेकिन केवल उनके

निवेदन यह है कि रिट को सभी अवसर दिए गए थे

याचिकाकर्ता को अपना बचाव का मामला और रिट भी पेश करना है याचिकाकर्ता ने लगाए गए दोनों आरोपों के लिए दोषी ठहराया था

उसके खिलाफ।

(10) अतः यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी ने रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ उक्त अनुशासनात्मक जांच में स्वयं अभियोजक और न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। इस स्वीकृत तथ्य से, यह अनुमान लगाना गलत नहीं हो सकता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में कोई निष्पक्ष प्रक्रियाएं नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को निर्विवाद रूप से खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता।

19. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इसके खिलाफ रिट अपील में

उपरोक्त निर्णय ने रिट अपील को खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश के उपरोक्त दृष्टिकोण की भी पुष्टि की।

20. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा दो प्रमुख प्रस्तुतियाँ की गई हैं, वे हैंः ((i) अनुशासनात्मक जाँच

1955 के नियम 27 के तहत संचालित किया जाना आवश्यक है जो एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति पर विचार नहीं करता है। इसलिए, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति न होने से जांच की कार्यवाही बाधित नहीं होती है। ((ii) प्रत्यर्थियों के खिलाफ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए अनुशासनात्मक जांच की गई है। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की गैर-नियुक्ति से प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता है। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति न होने से उत्तरदाताओं के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं हुआ है।

21. सी. आर. पी. एफ. नियम, 1955 के नियम 27 उप-नियम (सी) में विभागीय जांच करने की प्रक्रिया का प्रावधान है जो इस प्रकार हैः

" नियम 27 (ग) विभागीय संचालन की प्रक्रिया

जाँच इस प्रकार होगीः

(1) आरोप का सार कम कर दिया जाएगा

एक लिखित आरोप का रूप जो उतना ही सटीक होना चाहिए जितना

संभव है। आरोप को अभियुक्त को पढ़ा दिया जाएगा और

इसकी प्रति उसे कम से कम 48 घंटे में दी जाए। इससे पहले जाँच की शुरुआत।

(2) जाँच शुरू होते ही अभियुक्त को दोषी या दोषी नहीं होने की याचिका दायर करने के लिए कहा जाएगा, जिसके बाद आरोप स्थापित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। साक्ष्य आरोप के लिए सामग्री होगी और या तो मौखिक या वृत्तचित्र हो, यदि मौखिक होः

((i) यह प्रत्यक्ष होगाः ((ii) यह संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा,

अभियुक्तक उपस्थितिमे स्वयं जाँच करूः

((ग) अभियुक्त को प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी जाएगी।

गवाह।

(3) जब आरोप के समर्थन में दस्तावेजों पर भरोसा किया जाता है, तो उन्हें साक्ष्य के रूप में रखा जाएगा और आरोपी को अपने बचाव पक्ष को बुलाने से पहले ऐसे प्रदर्शनों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी।

(4) इसके बाद अभियुक्त से पूछताछ की जाएगी और जाँच करने वाले अधिकारी द्वारा उसका बयान दर्ज किया जाएगा। यदि अभियुक्त ने अपराध स्वीकार कर लिया है और अभिलेख पर साक्ष्य को चुनौती नहीं देता है, तो कार्यवाही आदेशों के लिए बंद कर दी जाएगी। यदि वह "दोषी नहीं" होने का अभिवचन करता है, तो उसे एक लिखित बयान और ऐसे गवाहों की एक सूची दायर करने की आवश्यकता होगी जो वह ऐसी अवधि के भीतर अपने बचाव में उद्धृत करना चाहे, जो किसी भी मामले में कम से कम नहीं होगी।

पखवाड़ा, जैसा कि जाँच करने वाला अधिकारी समझ सकता है

मामले की परिस्थितियों में उचित। यदि वह लिखित बयान दाखिल करने से इनकार करता है, तो अवधि समाप्त होने पर जांच करने वाले अधिकारी द्वारा उससे फिर से पूछताछ की जाएगी।

अनुमति दी गई।

(5) यदि अभियुक्त किसी भी गवाह का हवाला देने या अपने बचाव में कोई सबूत पेश करने से इनकार करता है, तो कार्यवाही आदेश के लिए बंद कर दी जाएगी। यदि वह कोई सबूत पेश करता है तो जांच करने वाला अधिकारी सबूत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ेगा। यदि जांच करने वाला अधिकारी यह समझता है कि किसी गवाह या किसी दस्तावेज का साक्ष्य जो अभियुक्त अपने बचाव में पेश करना चाहता है, मामले में शामिल मुद्दों के लिए सामग्री नहीं है, तो वह ऐसे गवाह को बुलाने या ऐसे दस्तावेज को साक्ष्य में पेश करने की अनुमति देने से इनकार कर सकता है, लेकिन ऐसे सभी मामलों में उसे सबूत पर विचार करने के लिए अपने कारणों को संक्षेप में दर्ज करना चाहिए। जब सभी प्रासंगिक साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाए जाते हैं, तो कार्यवाही आदेशों के लिए बंद कर दी जाएगी।

(6) यदि कमांडेंट ने स्वयं जाँच की है, तो वह अपने निष्कर्षों को दर्ज करेगा और जहां उसके पास ऐसा करने की शक्ति होगी, वहां आदेश पारित करेगा। यदि जांच कमांडेंट के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई है, तो जांच करने वाला अधिकारी

कार्यवाही के साथ अपनी रिपोर्ट को आगे बढ़ाएँ

कमांडेंट जो अपने निष्कर्षों को दर्ज करेगा और आदेश पारित करेगा

जहाँ उसके पास ऐसा करने की शक्ति है।

22. उपरोक्त नियम के अवलोकन से यह संकेत नहीं मिलता है कि नियम प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति पर विचार करता है। सेवा की शर्तें

एक कर्मचारी की सजा और अपील प्रक्रिया सहित वैधानिक नियमों द्वारा शासित होते हैं। सीआरपीएफ अधिनियम, 1949 द्वारा अधिनियमित किया गया है

सशस्त्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के गठन और विनियमन के लिए संसद। अधिनियम की धारा 18 केंद्र सरकार को इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है।

23. अनुशासनात्मक कार्यवाही अर्ध-न्यायिक कार्यवाही होती है और जाँच अधिकारी एक स्वतंत्र न्यायनिर्णायक के पद पर होता है और निष्पक्ष, निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य होता है। प्राधिकरण अर्ध-न्यायिक शक्ति का प्रयोग करता है और उसे निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से पक्षपात के बिना सद्भावना से कार्य करना होता है।

24. प्राकृतिक न्याय के नियमों को मान्यता दी गई है और विकसित किया गया है।

प्रशासनिक कानून के सिद्धांतों के रूप में। प्राकृतिक न्याय के कई पहलू हैं। इसके सभी पहलू न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कदम हैं। सुरेश कोशी जॉर्ज बनाम केरल विश्वविद्यालय और अन्य मामले में यह न्यायालय, ए. आई. आर. 1969 एस. सी.

198 एक ऐसे मामले के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर विचार करने का अवसर था जहां एक छात्र के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी, जिस पर परीक्षा में कदाचार करने का आरोप लगाया गया था। पैरा 7 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह प्रश्न कि क्या किसी मामले में अपनाई गई प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है, काफी हद तक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, न्यायाधिकरण के गठन और उन नियमों पर निर्भर करता है जिनके तहत यह किया गया है।

कार्य। पैराग्राफ 7 और 8 में निम्नलिखित बात कही गई थीः

" 7 ..... प्राकृतिक न्याय के नियम मूर्त नियम नहीं हैं। यह प्रश्न कि क्या किसी मामले में अपनाई गई प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है, काफी हद तक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, न्यायाधिकरण के गठन और इसके तहत नियमों पर निर्भर करना चाहिए।

जो काम करता है।

8. रसेल बनाम। ड्यूक ऑफ नॉरफ़ॉक, टकर, एल. जे. ने देखाः

" मेरे विचार में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो हर तरह की जांच और हर तरह के घरेलू मामलों में सार्वभौमिक रूप से लागू हो।

न्यायाधिकरण। प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताएं मामले की परिस्थितियों, जांच की प्रकृति, उन नियमों, जिनके तहत न्यायाधिकरण कार्य कर रहा है, विषय वस्तु पर निर्भर होनी चाहिए।

जिससे निपटा जा रहा है, और इसी तरह आगे। तदनुसार, मुझे प्राकृतिक न्याय की परिभाषाओं से अधिक सहायता नहीं मिलती है।

जिनका समय-समय पर उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन जो भी मानक अपनाया जाता है, एक आवश्यक बात यह है कि संबंधित व्यक्ति को अपना मामला पेश करने का उचित अवसर मिलना चाहिए।

25. इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने ए. के. क्राईपक और अन्य बनाम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर विस्तार से विचार किया है और उन्हें समझाया है। भारत संघ और अन्य, ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 150।

इस

न्यायालय ने [2018] 5 एस. सी. आर. अभिनिर्धारित किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय प्राप्त करना है या न्याय की विफलता को रोकने के लिए इसे नकारात्मक रूप से रखना है। हाल के वर्षों में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा में बहुत बदलाव आया है। प्रारंभ में दो सिद्धांतों से युक्त होने के रूप में मान्यता प्राप्त है कि कोई भी अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होगा और किसी पक्ष को उचित सुनवाई प्रदान किए बिना उसके खिलाफ कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा, विभिन्न अन्य पहलुओं को मान्यता दी गई है। पैराग्राफ 20 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 20. प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुरक्षित करना या न्याय की विफलता को रोकने के लिए इसे नकारात्मक रूप से रखना है। ये नियम केवल उन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं जो वैध रूप से बनाए गए किसी भी कानून के दायरे में नहीं आते हैं। दूसरे शब्दों में वे देश के कानून का स्थान नहीं लेते हैं बल्कि इसके पूरक होते हैं। हाल के वर्षों में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा में बहुत बदलाव आया है। अतीत में यह था

सोचा कि इसमें केवल दो नियम शामिल हैं अर्थात् (1) कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा (नेमो डेबेट एसे जूडेक्स प्रोप्रिया कौसा) और (2) किसी पक्ष के खिलाफ कोई निर्णय उसे उचित सुनवाई प्रदान किए बिना नहीं दिया जाएगा (ऑडी अल्टरम पार्टेम)। इसके तुरंत बाद एक तीसरे नियम की परिकल्पना की गई और वह यह है कि अर्ध-न्यायिक जांच अच्छी भावना से की जानी चाहिए, बिना पक्षपात के और मनमाने ढंग से या अनुचित रूप से नहीं।

26. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम सरोज कुमार सिन्हा, 2010 (2) एस. सी. सी. 772 में, इस न्यायालय ने निर्धारित किया था कि जांच अधिकारी एक

अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण, उसे स्वतंत्र न्यायनिर्णायक के रूप में कार्य करना होता है और वह विभाग/अनुशासनात्मक प्राधिकरण/का प्रतिनिधि नहीं होता है। सरकार। पैराग्राफ 28 और 30 में निम्नलिखित माना गया हैः

" 28. एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण में कार्य करने वाला एक जांच अधिकारी एक स्वतंत्र न्यायनिर्णायक के पद पर होता है। वह नहीं है।

विभाग/अनुशासनात्मक प्राधिकरण/सरकार का प्रतिनिधि होना चाहिए। उनका कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करना है, यहां तक कि अपराधी अधिकारी की अनुपस्थिति में भी यह देखने के लिए कि क्या

सबूत यह मानने के लिए पर्याप्त है कि आरोप साबित हो गए हैं। वर्तमान मामले में उपरोक्त प्रक्रिया नहीं की गई है।

देखा गया। चूंकि किसी मौखिक साक्ष्य की जांच नहीं की गई है, इसलिए दस्तावेजों को साबित नहीं किया गया है, और इस निष्कर्ष पर विचार नहीं किया जा सकता है कि उत्तरदाताओं के खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं।

भारत संघ v. राम लखन शर्मा [अशोक भूषण, जे।]

बंद दिमाग। जाँच अधिकारी को पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न केवल न्याय किया गया है, बल्कि स्पष्ट रूप से किया गया है। प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक सरकारी कर्मचारी के साथ ऐसी कार्यवाही में निष्पक्ष व्यवहार किया जाए जो बर्खास्तगी/सेवा से हटाने सहित सजा के अधिरोपण में परिणत हो सकती है।
27. जब वैधानिक नियम नियुक्ति पर विचार नहीं करता है

प्रस्तुत करने वाले अधिकारी की क्या प्रस्तुत करने वाले अधिकारी की गैर-नियुक्ति वास्तव में जांच को दूषित करती है? हमने नियम 27 के वैधानिक प्रावधान पर ध्यान दिया है जो इस बात का संकेत नहीं देता है कि कोई वैधानिक आवश्यकता है

अनुशासनात्मक जाँच में प्रस्तुत करने वाले अधिकारी की नियुक्ति। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वैधानिक प्रावधान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति को अनिवार्य नहीं करता है। जब वैधानिक प्रावधान में नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होती है

अधिकारी को प्रस्तुत करना कि क्या ऐसी कोई परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जा सकता है, व्यापक प्रश्न है जिसका उत्तर इस मामले में दिए जाने की आवश्यकता है। हमने ऊपर ध्यान दिया है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों के खिलाफ अभियोजक के रूप में कार्य करने वाले जांच अधिकारी में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन पाया है। जाँच अधिकारी जिसे स्वतंत्र होना चाहिए और प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए

अनुशासनात्मक प्राधिकरण यदि किसी अन्य क्षमता में कार्य करना शुरू कर देता है और आगे बढ़ता है इस तरह से कार्य करना जैसे कि वह किसी कर्मचारी को दंडित करने के लिए साक्ष्य प्राप्त करने में रुचि रखता है, पक्षपात का सिद्धांत लागू होता है।

28. कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम. रामा जोइस को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाम

को दूषित कर दिया गया है क्योंकि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई थी और आगे की जांच अधिकारी ने भूमिका निभाई

अभियोजक। इस न्यायालय ने कहा कि कोई कानूनी मजबूरी नहीं है कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए, लेकिन यदि जांच अधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की भूमिका निभाता है, तो जांच अमान्य होगी। पैराग्राफ 8 और 9 में निम्नलिखित बात कही गई थीः

" 8. एक अन्य आधार जिस पर घरेलू जांच को अमान्य ठहराया गया था, वह यह था कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई थी। न्यायाधिकरण का यह दृष्टिकोण भी स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। इसलिए, केवल यह तथ्य कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई थी, जांच को दरकिनार करने का कोई आधार नहीं है।

गोपालकृष्ण रेड्डी बनाम। कर्नाटक राज्य (आई. एल. आर. 1980 कर

575) . यह सच है कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की अनुपस्थिति में यदि जांच प्राधिकरण प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की भूमिका निभाता है, तो जांच अमान्य होगी और यह पहलू याचिकाकर्ता के लिए उठाए गए अगले बिंदु से उत्पन्न होता है, जिस पर मैं विचार करूंगा।

इसके तुरंत बाद।

9. तीसरा आधार जिसके आधार पर औद्योगिक न्यायाधिकरण ने माना कि घरेलू जांच अमान्य थी, वह यह था कि जांच अधिकारी ने प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की भूमिका निभाई थी। निष्कर्षों का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः " कर्मचारी के लिए विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि पूछताछ अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्न

प्रबंधन के गवाह स्वयं बताते हैं कि वह कामगार के खिलाफ पक्षपाती और पूर्वाग्रहपूर्ण था। नहीं हुआ है।

इस बात का स्पष्टीकरण कि कोई प्रस्तुतकर्ता अधिकारी क्यों नियुक्त नहीं किया गया और पूछताछ अधिकारी ने प्रबंधन गवाहों से सवाल पूछने का बोझ खुद पर क्यों लिया। एक्स्ट में जांच की कार्यवाही। ए-6 से पता चलता है कि क्रॉस के बाद

बचाव पक्ष द्वारा प्रबंधन के गवाहों की जांच, पूछताछ अधिकारी ने आगे स्पष्टीकरण के माध्यम से कुछ प्रश्न रखे हैं, लेकिन उनकी प्रकृति से एक निष्कर्ष निकलता है कि उन्हें कमी को भरने के लिए निर्देशित किया जाता है। प्रबंधन के लिए विद्वान वकील ने तर्क दिया कि पूछताछ अधिकारी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया है और घरेलू जांच काफी वैध है। मेरा मानना है कि

जाँच अधिकारी ने स्वयं प्रबंधन के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की भूमिका निभाई है जो मामले की जड़ तक जाता है और जाँच को दूषित करता है।

जहाँ तक कानून में स्थिति का संबंध है, यह सामान्य आधार है कि यदि जांच प्राधिकरण एक अभियोजक की भूमिका निभाता है और बचाव पक्ष के गवाहों की जिरह करता है या उनका नेतृत्व करता है अभियोजन पक्ष के गवाहों से सवाल स्पष्ट रूप से भारत संघ v का खुलासा करते हैं।

राम लखन शर्मा [अशोक भूषण, जे।]

मन की पक्षपाती स्थिति, जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगी। लेकिन इस मामले में विचार करने के लिए सवाल यह हैः क्या जाँच अधिकारी ने ऐसा किया था? यह भी तय किया गया कानून है कि एक जांच प्राधिकरण को रखने का अधिकार है

गवाहों से स्पष्टीकरण के लिए सवाल जहां भी आवश्यक हो और जब तक अपराधी कर्मचारी को पार करने की अनुमति है-पूछताछ प्राधिकरण के बाद गवाहों से पूछताछ करें

गवाहों से सवाल करते हुए, जांच की कार्यवाही को अनुचित नहीं माना जा सकता है। मुनचंडनी इलेक्ट्रिक एंड रेडियो देखें।

इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। उनके कर्मचारी।

29. इस न्यायालय को लंबाबाड़ी टी एस्टेट बनाम लंबाबाड़ी टी एस्टेट, 1966 (2) के कामगारों के मामले में टिप्पणी करने का अवसर मिला था। एलएलजे315, कि यदि जाँच अधिकारी जाँच अधिकारी के रूप में अपना कार्य नहीं रखता है, लेकिन अभियोजक बन जाता है, तो जाँच दूषित हो जाती है। निम्नलिखित देखा गयाः

" जाँच जो प्रबंधन द्वारा पहले की गई थी

प्रभार की अध्यक्षता स्वयं प्रबंधक ने की थी। यह सहायक प्रबंधक और दो अन्य लोगों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। जाँच अपनी प्रक्रिया में सही नहीं थी। प्रबंधक ने बयान दर्ज किए, प्रतिपरीक्षा की

मजदूर जो अपराधी थे और तथ्यों पर अपने स्वयं के बयान दिए और दर्ज किए और दोषी मजदूरों से अपने द्वारा दर्ज किए गए अपने बयानों की सच्चाई के बारे में सवाल किया। प्रबंधक ने अपना कार्य नहीं रखा

पूछताछ करने वाला अधिकारी अलग था लेकिन बारी-बारी से गवाह, अभियोजक और प्रबंधक बन गया। परिणामस्वरूप जांच का रिकॉर्ड है -

अस्थिर और असंतोषजनक।

30. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन, सी. जे. (जैसा कि वे उस समय थे) के माध्यम से बोलते हुए जब जांच अधिकारी ने खुद को भारत संघ में अभियोजक के रूप में कार्य करना शुरू किया तो उन्हें जांच को रद्द करने के सवाल पर विचार करने का अवसर मिला। बनाम मोहम्मद। नसीम सिद्दीकी, आई. एल. आर. (2004) सांसद 821। उपरोक्त मामले में न्यायालय ने रेलवे सेवकों (अनुशासन और अपील) के नियम 9 (9) पर विचार किया।

नियम, 1968। डिवीजन बेंच ने प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों को विस्तार से बताते हुए सात अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त पहलुओं की गणना की।

निर्णय का अनुच्छेद 7 जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 7. प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों में से एक [2018] 5 एस. सी. आर. है।

कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होगा। इस सिद्धांत में सात अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त पहलू शामिल हैं: (i) न्यायनिर्णायक निष्पक्ष और पक्षपात से मुक्त होगा, (ii) न्यायनिर्णायक अभियोजक नहीं होगा, (iii) शिकायतकर्ता न्यायनिर्णायक नहीं होगा, एक गवाह न्यायनिर्णायक नहीं हो सकता है, न्यायनिर्णायक को आरोपों की जांच करते समय मामले के तथ्यों के बारे में अपनी व्यक्तिगत जानकारी का आदान-प्रदान नहीं करना चाहिए, (vi) न्यायनिर्णायक अपने वरिष्ठों या अन्य लोगों के आदेशों पर निर्णय नहीं लेगा, (vii) न्यायनिर्णायक इस मुद्दे पर निर्णय रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के संदर्भ में करेगा, न कि उनके संदर्भ में।

बाहरी सामग्री या बाहरी विचारों पर। यदि इनमें से किसी भी मौलिक नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो जांच की जाएगी। दूषित हो जाएँ। "

31. डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि जहां जांच अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में माना जाता है, वहां पक्षपात की धारणा की जा सकती है। परिच्छेद 9 में कहा गया है -वीएसः

" 9. एक निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा घरेलू जांच की जानी चाहिए।

जो घटना से असंबद्ध है ताकि वह जांच के विषय मामलों को तय करने में निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण हो सके। जाँच पूरी होने तक उसे खुले दिमाग से काम लेना चाहिए और न तो पक्षपात के साथ काम करना चाहिए और न ही हस्तक्षेप करना चाहिए।

पूर्वाग्रह का प्रभाव। जहाँ जाँच अधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कार्य करता है, वहाँ पक्षपात का अनुमान लगाया जा सकता है। सभी घटनाओं में, यह स्पष्ट रूप से पूर्वाग्रह की छाप देता है। जाँच अधिकारी न्यायाधीश या न्यायनिर्णायक के पद पर होता है। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अभियोजक के पद पर होता है। यदि जाँच अधिकारी एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कार्य करता है, तो यह अभियोजक के रूप में कार्य करने वाले न्यायाधीश के बराबर होगा। जब जाँच अधिकारी संचालन करता है

अभियोजन पक्ष के गवाहों का परीक्षण-प्रमुख और उन्हें तथ्यों के माध्यम से ले जाता है ताकि कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक प्राधिकरण के मामले को प्रस्तुत किया जा सके या नियोक्ता/अनुशासनात्मक प्राधिकरण के मामले को स्थापित करने के लिए अपराधी कर्मचारी या उसके गवाहों से जिरह की जा सके, स्पष्ट रूप से, जांच अधिकारी को खुला दिमाग नहीं कहा जा सकता है। यह तथ्य कि वह नियोक्ता का मामला प्रस्तुत करता है और नियोक्ता के मामले का समर्थन करता है, यह मानने के लिए पर्याप्त है कि जांच अधिकारी के पास खुला दिमाग नहीं है। भारत संघ v.

राम लखन शर्मा [अशोक भूषण, जे।]

2. डिवीजन बेंच ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार करने के बादपैराग्राफ 16 में दिए गए सिद्धांतों का निम्नलिखित प्रभाव हैः

" 16. हम इन सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दे सकते हैंः

(i) जाँच अधिकारी, जो एक न्यायाधीश के पद पर है, एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा, जो इस पद पर है।

एक अभियोजक का।

((ii) अनुशासनात्मक प्राधिकरण के लिए प्रत्येक जांच में एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक नहीं है। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की गैर-नियुक्ति, अपने आप में नहीं होगी

जाँच को दूषित करें। ((iii) जांच अधिकारी, सच्चाई पर पहुंचने या स्पष्टीकरण प्राप्त करने की दृष्टि से, लोगों से सवाल कर सकता है।

अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ-साथ बचाव पक्ष के गवाह भी। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की अनुपस्थिति में, यदि जांच अधिकारी तथ्यों को उजागर करने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाहों से कोई सवाल करता है,

इसके बाद उसे अपराधी कर्मचारी को अनुमति देनी चाहिए

((iv) यदि जांच अधिकारी नियमित परीक्षा आयोजित करता है। अभियोजन पक्ष के गवाहों का नेतृत्व करते हुए प्रमुख

अभियोजन पक्ष का मामला, या प्रमुख प्रश्न रखता है

विभागीय गवाह जवाबों के साथ गर्भवती हैं, या बचाव पक्ष के गवाहों से जिरह करते हैं या अभियोजन पक्ष के मामले के कर्मचारी को स्थापित करने के लिए सूचक प्रश्न पूछते हैं।

अधिकारी अभियोजक के रूप में कार्य करता है जिससे जांच दूषित हो जाती है। (v) अपने आप में एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की अनुपस्थिति नहीं होगी।

जाँच को दूषित करें और यह माना जाता है कि जाँच

अधिकारी किसी भी या सभी गवाहों से पूछताछ कर सकते हैं।

सच यह है कि यह सवाल कि क्या एक जांच अधिकारी ने एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में काम किया है, के साथ तय करना होगा

जिस तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है और जांच में दर्ज किया जाता है, उसका संदर्भ।

पूछताछ अधिकारी या प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में भी कार्य किया हैप्रत्येक मामले के तथ्यों पर ध्यान देता है। किसी भी आरोप से बचने के लिए

पक्षपात और जांच के जोखिम को घोषित किया जा रहा है

कानूनी और दूषित, वर्तमान प्रवृत्ति [2018] 5 एस. सी. आर. प्रतीत होती है।

साधारण मामलों को छोड़कर, हमेशा प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों की नियुक्ति करें। जो भी हो सकता है।

33. हम ऊपर बताए गए सिद्धांतों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, हालांकि, सिद्धांतों को किसी विशेष स्थिति के तथ्यों में सावधानीपूर्वक लागू किया जाना चाहिए।

मामला। प्रत्येक मामले में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या वैधानिक नियम अधिकारियों को सक्षम बनाते हैं

एक नियुक्ति करें या चुप रहें। जब सांविधिक नियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के किसी भी पहलू की प्रयोज्यता के संबंध में मौन होते हैं, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की प्रयोज्यता, जिन्हें सांविधिक योजना में विशेष रूप से बाहर नहीं रखा गया है, निषिद्ध नहीं है। जब प्राकृतिक न्याय के विशेष सिद्धांत का कोई स्पष्ट बहिष्कार नहीं होता है, तो उक्त न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किसी दिए गए मामले में सिद्धांत लागू होगा। इस संदर्भ में पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम कुंज बिहारी मिश्रा, 1998 (7) एस. सी. सी. 84 में इस न्यायालय के एक मामले का संदर्भ दिया गया है। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय को पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1977 के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर मिला था। विनियम 7 जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई का प्रावधान करता है। निर्णय के पैरा 10 में निकाला गया विनियम 7 इस प्रकार हैः

" 7. जाँच रिपोर्ट पर कार्रवाई। - (1) अनुशासनिक

प्राधिकरण, यदि वह स्वयं पूछताछ करने वाला प्राधिकरण नहीं है, तो उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, मामले को नई या आगे की जांच और रिपोर्ट के लिए पूछताछ करने वाले प्राधिकरण को भेज सकता है और इसके बाद पूछताछ करने वाला प्राधिकरण विनियमन के प्रावधानों के अनुसार आगे की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा।

6 जहाँ तक हो सके।

(2) अनुशासनात्मक प्राधिकारी, यदि वह किसी आरोप के लेख पर पूछताछ प्राधिकरण के निष्कर्षों से असहमत है, तो ऐसी असहमति के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा और ऐसे आरोप पर अपने स्वयं के निष्कर्ष दर्ज करेगा, यदि रिकॉर्ड पर साक्ष्य इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त है।

(3) यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी, सभी या किसी भी आरोप के लेख पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यह राय रखता है कि विनियम 4 में निर्दिष्ट दंडों में से कोई भी होना चाहिए

अधिकारी कर्मचारी पर अधिरोपित, यह, विनियम 8 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अधिरोपित करने का आदेश देगा।

ऐसी सजा।

(4) यदि सभी या किसी भी आरोप के लेख पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनात्मक प्राधिकरण की राय है कि कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है, तो वह संबंधित अधिकारी कर्मचारी को दोषमुक्त करने का आदेश पारित कर सकता है।

34. इस न्यायालय के समक्ष जिस प्रश्न पर बहस की गई थी, वह यह था कि चूंकि विनियम 7 (2) में कोई प्रावधान नहीं है।

अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए अपराधी अधिकारी को अवसर जो उन निष्कर्षों को उलटता है जो अपराधी कर्मचारी के पक्ष में थे, प्राकृतिक न्याय के नियम लागू नहीं होते हैं। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को विनियमन 7 (2) में पढ़ा जाना चाहिए, भले ही नियम में विशेष रूप से अपराधी अधिकारी की सुनवाई की आवश्यकता न हो। पैरा 19 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 19. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह होगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को विनियमन 7 (2) में पढ़ा जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, जब भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी किसी भी आरोप पर जांच प्राधिकरण से असहमत होता है, तो इस तरह के आरोप पर अपने स्वयं के निष्कर्ष दर्ज करने से पहले, उसे इस तरह की असहमति के लिए अपने अस्थायी कारणों को दर्ज करना चाहिए और अपराधी अधिकारी को उसके समक्ष प्रतिनिधित्व करने का अवसर देना चाहिए। अपने निष्कर्षों को दर्ज करें। जाँच अधिकारी की रिपोर्ट

इसके निष्कर्षों को सूचित करना होगा और अपराधी अधिकारी के पास अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अनुकूल निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए मनाने का अवसर होगा। जाँच अधिकारी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, उस प्राधिकरण की आवश्यकता होती है जिसे अंतिम निर्णय लेना होता है और जुर्माना लगा सकता है, ताकि अनुशासनिक प्राधिकरण के समक्ष कदाचार के आरोपित अधिकारी को अपना प्रतिनिधित्व दर्ज करने का अवसर दिया जा सके।

अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर निष्कर्ष "।

35. इस प्रकार, यह प्रश्न कि क्या जांच अधिकारी, जिसे किसी जांच में स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए, ने अभियोजक के रूप में कार्य किया है या नहीं, तथ्य का प्रश्न है जिसका निर्णय विशेष मामले के तथ्यों और कार्यवाही पर किया जाना है। वर्तमान मामले में हमने देखा है कि उच्च न्यायालय ने पूरी जांच कार्यवाही को तलब किया था और कार्यवाही को देखने के बाद उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जांच अधिकारी ने स्वयं प्रश्न पूछकर अभियोजन पक्ष के गवाह की मुख्य परीक्षा का नेतृत्व किया। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि जांच अधिकारी ने उक्त अनुशासन में स्वयं अभियोजक और न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।

पूछताछ की। उच्च न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्ष पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है [2018] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2012 की सिविल अपील को जन्म देने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 9 और 10 से।

36. उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जांच अधिकारी ने अभियोजक के रूप में भी काम किया है, स्वतंत्र की क्षमता

न्यायनिर्णायक को खो दिया गया था जिससे न्यायनिर्णायक की उनकी स्वतंत्र भूमिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन परिस्थितियों में, पक्षपात का सिद्धांत लागू होगा और उच्च न्यायालय अपीलार्थियों को नए सिरे से जांच के साथ आगे बढ़ने की स्वतंत्रता देकर बर्खास्तगी आदेशों को रद्द करने में सही था। हम बनाते हैं।

यह स्पष्ट है कि ऊपर की गई हमारी टिप्पणियाँ तथ्यों में हैं

वर्तमान मामले।

37. नतीजतन, सभी अपीलों को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अधीन खारिज कर दिया जाता है कि यह अपीलार्थियों के लिए खुला होगा -

उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित मंच से नए सिरे से जांच के साथ आगे बढ़ें और यह अपीलार्थी के लिए प्रतिवादियों के बकाया वेतन और भत्तों पर निर्णय लेने के लिए खुला होगा।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन